

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांक: 33/2014
संस्थापन दिनांक 12/3/2014

1. श्रीराम आयु 55 साल,
2. अतर सिंह आयु 50 साल
3. आशाराम आयु 45 साल
4. उत्तम सिंह आयु 42 साल
5. भीमसेन आयु 52 साल
6. रणवीर सिंह आयु 45 साल
7. मु. दुलारी पत्नी बाबूराम आयु 70 साल
8. शिवसिंह पुत्र प्रभु आयु 59 साल
9. लक्ष्मीनारायण आयु 50 साल
10. रमेश पुत्र सुमेरु आयु 50 साल,
निवासीगण ग्राम घेंटरन का पुरा चक माधौपुर,
परगना गोहद जिला भिण्डअपीलार्थीगण/वादीगण

वि रू द्ध

1. रामप्रसाद आयु 55 साल
2. सिरनाम आयु 50 साल पुत्रगण गिरहर,
निवासीगण घेंटरन कापुरा चक माधौपुर परगना गोहद
.....प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—दो, गोहद
द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक—51 ए/13 में पारित
आदेश दिनांक 13/2/2012 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक— 1 व 2 द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 02, सितंबर. 2014 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील श्री एस.के. तिवारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक—51 ए/13 में दि. 13/2/2014 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1

व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 निरस्त किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर पेश की है।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि चक माधौपुर परगना गोहद में स्थित है जो कि बंदोबस्त के पूर्व चकमाधौपुर के भूमि खसरा नंबर 12 मिन रकवा 2.581 हैक्टे. में मिन रकवा 1.400 हैक्टे. भूमि है, जिसका बंदोबस्त हो गया है, और नवीन नंबर 44, 47, 50, 150 कायम किए गये हैं ।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण श्रीराम आदि द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि बंदोबस्त के पूर्व चकमाधौपुर के भूमि खसरा नंबर 12 मिन रकवा 2.581 हैक्टे. में मिन रकवा 1.400 हैक्टे. भूमि है, जिसका बंदोबस्त हो गया है, और नवीन नंबर 44, 47, 50, 150 कायम किए गये हैं, जो वादग्रस्त है । बंदोबस्त के पूर्व खसरा नंबर-12 का कुल रकवा 3.874 हैक्टे. था, जिसमें मिन रकवा 0.293 हैक्टे. शासकीय बंबा व शेष रकवा खेती योग्य व गांव के नजदीक होने से गौडा आदि के उपयोग का है, जिसपर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा बर्ताव था, विवादित भूमि पुश्तैनी जायदाद है और भूमिस्वामी के स्वत्व उदभूत हो गये हैं । प्रतिवादी/प्रतिप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा निस्तार नहीं है । प्रतिवादी/प्रतिप्रार्थी क.-1 का नाम सिरनाम है, जो रामप्रसाद बनकर छलकपट पूर्वक बेईमानी पूर्वक अपने बड़े भाई रामप्रसाद के नाम से दीवानी दावा किया गया था । प्रतिवादीगण ने बंदोबस्त अधिकारियों से मिलकर फर्जी पट्टा अपने भाई रामप्रसाद के नाम से करा लिया है । प्रतिवादीगण वादीगण/अपीलार्थीगण के गौडा को तोड़कर कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील हैं । उक्त आधार पर प्रार्थीगण ने अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत बताते हुए प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण/प्रतिप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा वांछित सहायता अनुसार प्रदान किए जाने का निवेदन किया । आवेदनपत्र के साथ श्रीराम ने अपना शपथपत्र पेश किया है ।
4. प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थी कमांक-1 व 2 द्वारा अपने जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदनपत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया

गया है कि भूमि क्रमांक-44, 47, 50, 150 में कोई बंबा नहीं निकला है, ना ही किसी का कोई कब्जा है, ना ही गौड़ा है, विवादित भूमि के सर्वे नंबरान में प्रति.क्र. -1 भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है, जो किसीकी पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, और ना ही किसीकी खेती हो रही है । उक्त भूमि पर प्रतिप्रार्थी/प्रतिवादी क्र.-1 शासकीय पट्टेदार होकर खेती कर रहे हैं । प्रति.क्र.-1 का नाम रामप्रसाद पुत्र गिरवर है उसका नाम सिरनाम नहीं है । प्रतिवादी/प्रतिप्रार्थी द्वारा किसी का गौड़ा नहीं तोड़ा गया ना ही कोई विवाद किया गया । उपरोक्त आधार पर प्रतिप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के आवेदनपत्र को सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया, जबाब के साथ रामप्रसाद ने स्वयं का शपथपत्र पेश किया है ।

5. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है क्योंकि वादीगण/अपीलार्थीगण का विवादित भूमि में हक था, इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थीगण का आवेदनपत्र निरस्त कर दिया । विवादित भूमि में ही अपीलार्थी/वादीगण के पूर्वज के भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किए गये, इस संबंध में खसरे की नकलें व आदेश पेश किए हैं, जिनपर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार किए बिना ही त्रुटिपूर्ण आलोच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जो दावा किया था, उसमें वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे वादीगण/अपीलार्थीगण को अपने स्वत्वों की घोषणा बाबत दावा पेश किया है, जिस डिक्री में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया, वह उसपर बंधनकारी नहीं है । इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विवेचन करके आवेदनपत्र निरस्त करने में त्रुटि की है, जो निरस्ती योग्य है । अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

6. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1. “क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थीगण/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है ?”

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया, विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया ।
8. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से मूल वादवादी/अपीलार्थीगण द्वारा स्वत्व घोषणा स्थाई निशेधाज्ञा की आज्ञाप्ति बावत विवादित भूमि के संबंध में मूलतः पेश किया गया है जिसमें यह आधार लिया गया है कि बंदोवस्त के पूर्व से विवादित भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से आधिपत्य चला आ रहा है और वे काविज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं जिससे उनकी पुश्तैनी संपत्ति होने से स्वत्व उदभूत हो गये हैं और प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 वास्तविक में सिरनाम है जिसने रामप्रसाद बनकर शासकीय नौकरी की और पूर्व में दावा किया जिसमें उन्होंने पक्षकार बनने के लिये भी आवेदन दिया था जो निरस्त हुआ इसलिये रामप्रसाद के द्वारा किये गये सिविल वाद क्रमांक 40ए/10 जिसका नया नंबर 44ए/11 निर्णय दिनांक 24/10/13 उन पर बंधनकारी नहीं है और उक्त भूमि में से शासकीय बंबा भी निकला है तथा राजस्व प्रकरण क्रमांक 97/98-90-अ-19 से उनके पूर्वज गोविन्दी को रकवा 0.418 हैक्टेयर का भूस्वामी भी घोषित किया गया था । प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण ने बंदोवस्त अधिकारियों से मिलकर फर्जी पट्टा रामप्रकाश के नाम से करा लिया और सिरनाम के रामप्रसाद बनकर नौकरी करने के संबंध में जांच हो रही है ऐसे में उनका वास्तविक आधिपत्य होने से वे प्रकरण के निराकरण तक के लिये कब्जा व उपभोग में हस्तक्षेप करने से निषेधित करने संबंधी अस्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने के वैध अधिकारी है । इसी अनुरूप तर्क भी प्रस्तुत किये गये जब कि प्रत्यर्थीगण की और से यह आधार लिया गया है कि उक्त भूमि में से कोई बंबा नहीं निकला है और ना किसी अन्य का कोई उपयोग उपभोग व कब्जा है बल्कि उन्हें उक्त भूमि शासकीय पट्टे पर बीस सूत्रीय समिति द्वारा शासन के नियमानुसार प्रदान की गई है और उनका ही स्वत्व आधिपत्य है तथा रामप्रसाद के नाम से सही दावा किया गया था और प्रत्यर्थी क्र०-1 रामप्रकाश ही है । वादी/अपीलार्थी के आक्षेप गलत हैं । और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश उचित रूप से पारित किया है ।
9. अस्थायी निशेधाज्ञा आवेदनपत्र का निराकरण करते समय वाद प्रस्तुति

दिनांक की स्थिति का परीक्षण और परीक्षण करना होता है अभिलेख पर उभय पक्ष की ओर से जो सामग्री पेश की गई उसमें वादीगण/अपीलार्थीगण के आधिपत्य के होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर पेश नहीं किये गये हैं तथा मतदाता सूची में सिरनाम के नाम के समक्ष रामप्रकाश का छायाचित्र होने के आधार पर प्रत्यर्थी क्र०-1 के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा आपत्ति ली गई है जिसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश के कंडिका-11 में स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि मतदाता सूची निर्वाचन सुलभ बनाने के लिये तैयार की जाती है उसमें त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । अभिलेख पर उक्त निष्कर्ष प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेज जिनमें उन्होंने मतदाता, पहचानपत्र, आधार कार्ड, पट्टा प्रतिवादपत्र, सिरनाम व रामप्रसाद के निर्वाचन प्रमाणपत्र एवं रामप्रसाद से संबंधित आदिमजाति कल्याण शाखा द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र रोजगार पत्र अस्थाई पट्टे खसरा प्रतिवेदन रामप्रकाश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र आदि की छायाप्रतियां एवं पूर्व वाद क्रमांक 44ए/11 निर्णय दिनांक 24/10/13 की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर विद्यमान है जब कि वादी अपीलार्थीगण की ओर से विवादित भूमि पर बताये गये स्वत्व और आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं केवल मौखिक अभिवचनों में ही स्वयं का कब्जेदार होना प्रकट किया है । अभिलेख पर जो सामग्री प्रस्तुत है उससे लिये गये आधारों की प्रबलता के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का पक्ष प्रबल प्रतीत होता है जिसके कारण वादी अपीलार्थी का वाद प्रस्तुति दिनांक को विवादित मकान के स्वत्व आधिपत्य का प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है जो कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने कि एक प्राथमिक और अनिवार्य शर्त है ।

10. जहां तक उठाये गये अन्य विन्दु का प्रश्न है जिसमें रामप्रसाद पर इस बात का आक्षेप किया गया कि वह वास्तव में सिरनाम है और उसने रामप्रसाद बनकर शासकीय सेवा की या पूर्व दावा डिकी करा लिया यह गुणदोष पर ही संभव है जो उभय पक्ष की साक्ष्य उपरांत ही निष्कर्षित किया जा सकता है पट्टे की वैधानिकता का विन्दु भी गुणदोष का निराकरण योग्य है जहां तक रामप्रसाद द्वारा पूर्व में किये गये सिविल वाद क्रमांक 44ए/11 निर्णय दिनांक 24/10/13 में वादी/आवेदकगण के पक्षकार बनाने संबंधी आवेदनपत्र की निरस्तगी का प्रश्न है उसके संबंध में हस्तगत मामलों में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है तथा मूल

अभिलेख में उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें पक्षकारों के रूप में इस मामले के पक्षकार वादी/अपीलार्थी श्रीराम, आशाराम, शिवसिंह, लक्ष्मीनारायण, और रमेश को पूर्व मामलों में भी पक्षकार रहे हैं । अन्य वादी/अपीलार्थी अतरसिंह, उत्तमसिंह, भीमसेन, रणवीरसिंह और महिला दुलारी अवश्य पूर्व मामलों में पक्षकार नहीं थे ऐसे में वादी/अपीलार्थी का यह कहना कि पूर्व निराकृत प्रकरण किसी पर भी बंधनकारी नहीं है यह विधि सम्मत नहीं है क्योंकि जो पक्षकार पूर्व मामलों में भी पक्षकार रहे हैं उन पर पूर्व निर्णय तब तक बंधनकारी प्रभाव रखेगा जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं कर दिया जाता है ।

11^प ऐसी स्थिति में जिन आधार पर उक्त विवादित सिविल अपील प्रस्तुत की गई है वे चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने के लिये सुदृढ आधार नहीं पाया जाता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश ऐसी स्थिति में पुष्टीकारक है और उसमें कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है । फलतः प्रस्तुत की गई विविध सिविल अपील सारहीन पाते हुये निरस्त की जाकर आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है ।

12^प आलोच्य आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापिस भेजा जाये कि प्रकरण का शीघ्रता से निराकरण किया जाये ।

13. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ जावे ।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक-02/9/2014

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड